

न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.), कक्ष सं०-03, बरेली।

मूल वाद संख्या- 861 / 2022

श्रीमती अशलेखा चौहान

बनाम

अश्वनी शर्मा

दिनांक-08.10.2024

पत्रावली पेश हुयी। बार-बार पुकार पर भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व नियत तिथि पर अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है, किन्तु बार-बार पुकार पर भी कोई उपस्थित नहीं है, न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को उक्त वाद चलाने में कोई रुचि नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्तुत वाद अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद संख्या- 861 / 2022, श्रीमती अशलेखा चौहान बनाम अश्वनी शर्मा, अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार को प्रेषित हो।

(श्वेता श्रीवास्तव-॥)

अपर सिविल जज (सी०डि०),

कक्ष सं०-03, बरेली।

J.O.Code-UP2237